Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **झालावाड़ में ग्राम पंचायत का कनिष्ठ सहायक 03 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *13 फरवरी, सोमवार*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर झालावाड़ इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये राजेन्द्र कुमार नागर, कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत करनवास पंचायत समिति खानपुर जिला झालावाड़ को परिवादी से 03 **हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की झालावाड़ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी मां के नाम से स्वीकृतशुदा प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किश्त राशि खाते में डलवाने की एवज में राजेन्द्र कुमार नागर, कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत करनवास पंचायत समिति खानपुर जिला झालावाड द्वारा 05 **हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी कोटा के **पुलिस अधीक्षक श्री आलोक श्रीवास्तव** के सुपरविजन में एसीबी की झालावाड़ इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भवानी शंकर मीणा** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **श्री रमेशचन्द आर्य पुलिस निरीक्षक** मय टीम द्वारा आज ट्रेप कार्यवाही करते हुये राजेन्द्र कुमार नागर उर्फ सुरेन्द्र कुमार पुत्र लेखराज नागर निवासी चापाखुर रोड सारोला कलां हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत करनवास पंचायत समिति खानपुर जिला झालावाड को परिवादी से **03 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लैखनीय है कि आरोपी द्वारा पूर्व में ही परिवादी से **02 हजार रूपये** रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।